

994/CC
15/03/15

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002.
(विकलांग कल्याण शाखा)

मिसिलसं० 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2014/22714

दिनांक

16 MAR 2015

सेवा में,

श्री आशीष शर्मा,
सं० नं० 189, करण बिहार,
फाई-4 (IV), किराडी सुलेमान नगर,
दिल्ली - 110086

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।
सन्दर्भ:- I.D. 2014401/RTI Cell/DSW/2014-15/22179 dt. 9/11/2015
श्रीमान्,

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में दिनांक 10/3/2015 को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा माँगी गई जानकारी समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न प्रकार है:-

| प्रश्न संख्या | उत्तर |
|-------------------------|--|
| (i) | समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी 'एनक्सर ए' के रूप में संग्रहीत है। |
| (ii) & (iii) (iv) & (v) | उपरोक्त प्रश्न संख्या (i) के उत्तर अनुसार। |
| (vi) & (vii) | ऐसी कोई योजना वर्तमान में नहीं है। |
| (viii) | (1) दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि. अम्बेडकर भवन, सेंटर-16, रोहिणी, दिल्ली - 110085 द्वारा स्वरोजगार हेतु रियायती व्याज दर पर ऋण योजना चलाई जा रही है। (2) विकलांगों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के लिए आप विकलांगजन संशोद्धकरण विभाग, 5वां तल, पर्यवरण भवन, C-6, 0. कामप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से सम्पर्क कर सकते हैं। |

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलिय अधिकारी/

संयुक्त निदेशक (आई.टी.), समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एच.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, नई दिल्ली के समक्ष
अपील कर सकते हैं।

संलग्न - उपरोक्त अनुसार

अतदीय
दिल्ली
१६-०३-२०१५
सहायक निदेशक (विकलांग)

मिसिलसं० १२/१००३/RTI/AD-III/BSW/2014/

दिनांक: 16 MAR 2015

(i) संयुक्त निदेशक (आई.टी.), कम्प्यूटर सैल, समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली - समाज कल्याण विभाग
की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(ii) उपनिदेशक (आर.टी.आई. सैल), समाज कल्याण विभाग,
दिल्ली सरकार, दिल्ली गेट, नई दिल्ली।

दिल्ली
१६-०३-२०१५.
सहायक निदेशक (विकलांग)

(1)

विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैविलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिस्पेविलिटीज' (एन.पी.आर.पी.डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःशक्त जन हेतु General Disability Camp, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिविर का आयोजन करता है इस शिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे :-

1. विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
2. विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
3. इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
4. रेलवे का छूट पास,
5. आउटिजम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
6. एड्स एण्ड अप्लाइसेज
7. समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

(2) समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, आर्थिक सहायता अनुभाग शाखा द्वारा विकलांगों को नियमानुसार 1500 रु. की आर्थिक सहायता (पेंशन) प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है।

16/03/2015